



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092020-221591
CG-DL-E-07092020-221591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2696]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2020/भाद्र 16, 1942

No. 2696]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020/BHADRA 16, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

(राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2020

का.आ. 3028(अ).—केन्द्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 10, के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 3—अ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रोहिंटन फली नरीमन को तत्काल प्रभाव से उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामांकित करता है और दिनांक 09.02.2000 की अपनी अधिसूचना सं. 115(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उच्च अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1. न्यायमूर्ति श्री रोहिंटन फली नरीमन
न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय

— अध्यक्ष

[फा. सं. 6 (1)/95—नालसा]

अशोक कुमार जैन, सदस्य सचिव

पाद लेख : उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के गठन से संबंधित मूल अधिसूचना का. आ 115(अ), दिनांक 09.02.2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात दिनांक 25-02-2000, 20-08-2000, 22-11-2001, 29-05-2002, 01-01-2003, 10-04-2003, 25-09-2003, 08-03-2004, 08-06-2004, 18-07-2005, 11-11-2005, 11-07-2006, 15-02-2007, 21-10-2008, 13-05-2009, 11-08-2009, 18-01-2010, 18-10-2011, 27-06-2012, 29-05-2014, 09-10-2014, 17-12-2015, 28-11-2016, 10-01-2017, 19-01-2017, 30-08-2017, 08-10-2018, 27-11-2018, 07-03-2019 एवं 29-11-2019 की अधिसूचना द्वारा संशोधित की गई है ।

